"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जून 2010—आषाढ़ 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 10-21/2010/वाक (आब.)/पांच (55).—छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. जहां कहीं शब्द "केबल" आया है, उसके स्थान पर शब्द "केबल/डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम)" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

3. उक्त संशोधन शासकीय राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक/एफ 10-21/2010/वाक (आब.)/पांच (55).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-21/2010/वा.कर (आब.)/पांच (55), दिनांक 29-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 29th June 2010

NOTIFICATION

No. F 10-21/2010/CT (Ex.)/V (55).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Cable Television Network (Exhibition) Rules, 1999, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. Wherever word "Cable" occur, in place of that words "Cable/D.T.H. (Direct to Home)" shall be substituted.

2. It extends to the whole State of Chhattisgarh.

3. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazetted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.